जिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1996/भाद्र 11, 1918
No. 279] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1996/BHADRA 11, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1996

सा.का.नि. 398 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई मद्रास पत्तन न्यास (जलयान करस्थम या बन्दी बनाना और बिक्री) (संशोधन) नियमावली को जो दिनांक 7-9-94 और 14-9-94 को तमिलनाडु सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, अनुमोदित करती है जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में ब्यौरा दिया गया है ।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों का करस्थम अथवा बंदी बनाना और बिक्रय) संशोधन विनियम

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 123 में पठित धारा 53, धारा 64 और 116 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है ।

1. लघु शीर्षक :

इस विनियम को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों का करस्थम अथवा बंदी बनाना और बिक्रय) (संशोधन) विनियम के नाम से अभिहित किया जाएगा ।

2. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों का करस्थम अथवा बंदी बनाना और बिक्रय) विनियम 1989 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

(i) उक्त विनियम के विनियम 2 को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा ।

"मद्रास पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत देय राशि के दर या अर्थ दण्ड या दोनों या हानि/क्षति कोई विनियम का आदेश जो उसके अन्तर्गत

बनाए गए हैं वे विनियम सभी प्रकार के जहाजों पर लागू होंगे, किन्तु ऐसे जहाजों पर जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण या सेवा में है अथवा उन युद्ध पोतों पर जो विदेशी सरकार की हैं नहीं लागू होते ।''

(ii) उक्त विनियम के विनियम 4 का उप विनियम (1) निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा :

''(1) जहां कोई जहाज अपने दरों/अर्थ दण्डों हानि/क्षति का भुगतान नहीं करता है, ऐसी स्थिति में, उप पत्तन संरक्षक उस चूककर्ता जहाज के मास्टर से फार्म-1 में अपनी मांग करेंगे जिसके जारी होने की तिथि से सात दिन के अंदर मास्टर को सभी दरों/अर्थ दण्डों हानि/क्षति का भुगतान कर देना होगा ।

लेकिन ऐसे जहाज या उसके सेवक पोर्ट की सम्पत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्राक्कलित क्षति मूल्य को नकद में या बिना किसी शर्त के तथा अटल बैंक बंद पत्र या अन्य प्रतिभूति जो अध्यक्ष को संतोषजनक हों को मालिक मास्टर/जहाज कमाडैंट, द्वारा निक्षेप करना चाहिए ।''

(iii) विनियम 4 के उप विनियम (2) को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा :

''(2) दरों या अर्थ दण्डों, हानि/क्षति का पूर्ण विवरण देते हुए बिलों की प्रति उपरोक्त मांग के साथ संलग्न होगी जो संबंधित जहाज के मालिक अथवा अभिकर्ता के विरुद्ध उठाई गई थी और जिसका बोर्ड के प्रति भुगतान अभी देय है ।''

(iv) विनियम 4 के उप विनियम (4) को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा :

''(4) अगर चूक कर्ता जहाज का मास्टर, दर/अर्थ दंण्डों, हानि/क्षति को या उनके कुछ भागों को निश्चित अवधि के अंदर भुगतान करने से मना/अपेक्षा करता है, तब बोर्ड ऐसे जहाज को करस्थम अथवा बंदी बना सकता है और उसके रस्सी परिधान और फर्नीचर या उसके किसी भाग को रख सकता है जब तक बोर्ड को देय राशि और साथ में जहाज करस्थम और बंदी बनाने की समयावधि के अंदर उपचित होने वाली राशि का भुगतान नहीं कर देता ।''

(v) विनियम 4 के उप विनियम (7) को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा :

''(7) अगर कही गई दरों/अर्थ दंडों, हानि/क्षति अथवा जहाज के करस्थम या बंदी बनाने की लागत या उसके रखने की कीमत की अदायगी जहाज का मास्टर या मालिक बोर्ड की पूर्ण तुष्टि के अनुसार नहीं करता, नव करस्थम या बंदी बनाने के पांच दिन के अंदर बोर्ड जहाज या उसकी अन्य वस्तुओं को जिसे उसने करस्थम/बंदी बना दिया था, बेच डालेगा ।''

(vi) उक्त विनियम के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में जहां-जहां दरों/अर्थदण्डों शब्द आते हो उनके बाद ''हानि/क्षति'' शब्दों को जोड़ा जाऐं ।

(vii) उक्त विनियम के साथ संलग्न प्रपत्र-2 में जहां-जहां ''दरों/अर्थदण्डों'' शब्द आते हों उनके बाद ''हानि/क्षति'' शब्दों को जोड़ा जाए ।

प्रमुख विनियम

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों का करस्थम अथवा बंदी बनाना और विक्रय) विनियम 1989—जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 20 (ई) दिनांक 10 जनवरी, 1989 को देखें ।

एम. कलैवाणन,अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

[फॉ सं. पी. आर.-16012/1/95-पी.जी.]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1996

G.S.R. 398 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels (Amendment) Regulations, made by the Board of Trustees of Madras Port Trust, in exercise of powers conferred on them by Section 123 of the said Act and published in Official Gazette, Government of Tamil Nadu dt. 7-9-94 and 14-9-94 as detailed in the schedule annexed to this notification.

MADRAS PORT TRUST

Madras Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) (Amendment) Regulations

(No. RRC/24154/92/S.)

No. S.R.O. C-17/94.

In exercise of the powers conferred by Section 123 read with Section 53, Section 64 and Section 116 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby makes the following amendment Regulations :—

1. **Short title .**—These Regulations shall be called the "Madras Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) (Amendment) Regulations".

2. In the Madras Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1989, the following amendments shall be made :—

(i) Regulation 2 of the said Regulations shall be substituted as under :—

"These Regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates or penalities or both or loss damages are payable under the Major Port Trusts Act, 1963 or under any regulations or orders made thereunder, but shall not apply to vessels belonging to or in the service of the Central Government or a State Government or to any vessel of war belonging to any Foreign State".

(ii) Sub-Regulation (1) of Regulation 4 of the said Regulations shall be substituted as under :

"(1) Where any vessel in respect of which rates/penalities, loss/damages have not been paid is lying at the Port, a demand in Form I shall be made by the Deputy Port Conservator upon the Master of the defaulting vessel requiring the said Master to pay all the rates or penalties, loss/damages within a period of seven days from the date of issue of the said demand :

Provided that in respect of the vessel or her servants causing damage to the Port's property, the Owner/Master, Commandant of the vessel shall deposit the value of damage as estimated by the Chairman of the Port Trust, in cash or furnish an unconditional and irrevocable Bank Guarantee or other Security to the satisfaction of the Chairman."

(iii) Sub-Regulation (2) of Regulation 4 shall be substituted as under :—

(2) The said demand shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of rates or penalties, loss/ damages which were raised against the owner or agent of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.

(iv) Sub-Regulation (4) of Regulation 4 shall be substituted as under :—

"(4) If the Master of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates/penalties, loss/damages or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon the Master, the Chairman may proceed to distraint or arrest such vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto or any part thereof and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest is paid ".

(v) Sub-Regulation (7) of Regulation 4 shall be substituted as under :—

"(7) If the said rates/penalities, loss/damages or cost of the distraint or arrest of the vessel or of the keeping of the same are not paid by the owner or Master or agent of the vessel towards full satisfaction of the Chairman within a period of five days next after the distraint or arrest has been made the Chairman shall cause the vessel or other things so distraimed or arrested to be sold ".

(vi) In Form 1 appended to the said Regulations, the words "loss/damages" shall inserted after the words "rates penal ties" wherever they occur.

(vii) In Form II appended to the said Regulations the words "loss/damages" shall be inserted after the words "rates penalties" wherever they occur.

Principal Regualtions.—Madras Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1989 approved by the Central Government Vide-Ministry of Surface Transport Notification No. G.S.R. 20 (E), dated the 10th January, 1989.

[F. No. PR-16012/1/95-PG]

Madras Port Trust,
23rd June, 1994

M. KALAIVANAN, Chairman
K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996